संख्या-23/2022/165/18-2-2022-97(ल0उ0)/2016 टी0सी0

प्रेषक

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।

3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 29 जून, 2022

विषयः जेम पोर्टल पर विभिन्न विभागों/संस्थाओं/निगमों के द्वारा जेम से क्रय किये जाने में आने वाली समस्याओं के समाधान व परफारमेन्स सिक्युरिटी में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा- निर्देश।

महोदय,

अवगत ही हैं कि शासकीय विभागों व उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23 अगस्त 2017 द्वारा अंगीकृत किया गया है और इसके क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-12/2017/540/8-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 25 अगस्त 2017 व अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।

2- उक्त क्रम में अवगत कराना है कि जेम पोर्टल पर पंजीकृत क्रेताओं/विभागों/संस्थाओं/निगमों आदि के द्वारा जेम के माध्यम से सामग्री के क्रय/सेवाओं की आपूर्ति में आ रही समस्याओं के समाधान व परफारमेन्स सिक्युरिटी में छूट दिये जाने हेतु निम्नवत् व्यवस्था की जाती है :

(1) अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी0सी0, दिनांक 25.08.2020 के बिन्दु संख्या-6 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार जेम पोर्टल से सेवा क्रय करने की प्रक्रिया पूर्ण करने में कम से कम 15 दिन का समय लगता है। सम्बन्धित विभाग सेवा की आवश्यकतानुसार यह सुनिश्चित करेगें कि वर्तमान में चल रहे अनुबन्ध समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व ही मैनपावर सेवा क्रय की जेम पोर्टल पर प्रक्रिया प्रारम्भ कर देगें, ताकि शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो। सेवा क्रय करने वाले विभागों को पूर्व में शासनादेश संख्या-11/2017/527/18-2-2017-97(ल०उ0)/2016 दिनांक 23.08.2017 के माध्यम से स्पष्ट किया जा चुका है कि उनके द्वारा अपनी आवश्यकताओं को जोन, मण्डल, जनपद अथवा किसी अन्य वर्गीकरण के आधार पर टुकड़ों में नहीं लिया जायेगा। अभिप्राय यह है कि क्रेता विभाग को जिन कार्मिकों की आवश्यकता होगी, उनकी जेम पोर्टल के माध्यम से एक ही बिड की जायेगी, जिससे सुदृढ़ एवं सक्षम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सेवा प्रदाता का चयन हो सके, के क्रम में मैनपावर आउटसोर्सिंग हेतु सेवाओं में स्पिलिटिंग (विभाजन) की प्रक्रिया जेम (GeM), भारत सरकार, नई दिल्ली के स्तर पर प्रस्तावित है। इस विकल्प के पोर्टल पर उपलब्ध होने के पश्चात् इसका प्रयोग कर निविदा में एक से अधिक सेवा प्रदाताओं के मध्य कार्य का आवंटन किया जा सकेगा। इस विकल्प के उपलब्ध होने पर मैनपावर आउटसोर्सिंग के लिये सेवाप्रदाताओं के चयन हेतु एक से अधिक क्लस्टर गठित करने के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की सहमति प्राप्त कर निविदा की जा सकती है। उक्त के सम्बन्ध में निर्णय विभागाध्यक्ष द्वारा लिया जायेगा।

(2) विभिन्न विभागों द्वारा सॉफ्टवेयर वेबसाइट/वेब पोर्टल/मोबाइल ऐप विकसित करने एवं आई0टी0 मैनपावर के क्रय में आ रही समस्याओं के दृष्टिगत क्रेता विभाग UPDESCO/NICSI/UPELC/Sriton की सेवायें प्राप्त कर सकते हैं परन्तु उक्त संस्थाओं द्वारा समस्त सेवायें अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल के माध्यम से ही उपलब्ध करायी जायेंगी।

(3) प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु निविदाओं में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों व स्टार्ट-अप्स को विभिन्न छूट दिये जाने एवं परफारमेन्स सिक्युरिटी में कमी किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-17/2021/233/18-2-2021-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 31 मई, 2021 एवं शासनादेश संख्या-42/2021/491/18-2-2021-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार जी0एफ0आर0-2017 चैप्टर-6 के नियम-170 (1) भारत सरकार के परिपत्र संख्या-1(2)2016- एम.ए. दिनांक 10.03.2016 तथा परिपत्र संख्या-1(2)2016-एम.ए., संख्या-एफ-20/2/2014- पी.पी.डी.(पी0टी0), दिनांक 25.07.2017 एवं परिपत्र. संख्या-1(2)2016-एम.ए., संख्या-एफ-9/4/2020-एफ0पी0डी0 दिनांक 12.11.2020 के अनुसार किसी भी बिड में ई0एम0डी0 की मांग करना आवश्यक है, केवल अपवाद स्वरूप सूक्ष्म एवं लघु इकाईयाँ, जो एम0एस0ई0 प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत नियमानुसार पंजीकृत है तथा वह स्टार्ट-अप्स इकाईयाँ जो औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, वे ही ई0एम0डी0 से छूट प्राप्त करने की पात्र है। उपरोक्त छूट प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल के अध्याय-9 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार केवल उत्तर प्रदेश में स्थापित एम0एस0ई0 इकाईयों एवं स्टार्ट-अप्स को ही दी जा सकती है।

यह भी अवगत कराना है कि मैनपावर आउटसोर्सिंग सर्विस के सम्बन्ध में क्रेता द्वारा 50 लाख तक की निविदाओं में स्टार्ट-अप्स तथा सूक्ष्म व लघु इकाईयों को शासकीय सामग्री एवं सेवा की गुणवत्ता व तकनीकी विशिष्टियों को प्रभावित किये बिना पूर्व टर्न ओवर एवं पूर्व कार्यानुभव से छूट प्रदान की जा सकती है।

(4) स्पष्ट करना है कि संदर्भगत शासनादेशों द्वारा कोविड महामारी के दृष्टिगत समस्त प्रचलित/नवीन अनुबन्धों में निविदादाता से ली जाने वाली परफारमेन्स सिक्युरिटी अर्थात ePBG को 5-10 प्रतिशत से कम करके दिनांक 31-12-2021 तक 3 प्रतिशत कर दिया गया था। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या-एफ-9/4/2020-पी.पी.डी. दिनांक 30.12.2021, द्वारा उक्त समय-सीमा को दिनांक 31-3-2023 तक बढ़ा दिया गया है। तदनुसार उक्त व्यवस्था प्रदेश में भी यथावत लागू रहेगी।

(5) शासनादेश संख्या-9/2021/224/18-2-2021-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 06 अप्रैल, 2021 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि क्रेता द्वारा किसी भी उत्पाद/सेवा को पोर्टल पर सर्च करने हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

GeM Abailability Tool का प्रयोग कर GeM Abailability Report प्राप्त की जा सकती है। जेम GeM Abailability Report के अनुसार यदि वांछित सेवा/उत्पाद जेम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तब क्रेता विभाग पोर्टल पर "कस्टम बिड" के विकल्प का चयन कर सकता है। इससे क्रेता विभाग द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार उत्पाद/सेवा की कस्टम बिड बना कर पोर्टल पर फ्लोट की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि जेम पोर्टल पर कस्टम बिड का विकल्प होने के फलस्वरूप शासकीय सामग्री के क्रय व सेवाओं की आपूर्ति हेतु ईटेण्डरिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी।

3- संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा सम्बन्धित उत्पाद/सेवा की कैटेगरी उपलब्ध होने के उपरान्त भी कस्टम/BOQ बिड आमंत्रित की जा रही है जो कि शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के विपरीत है। कस्टम बिड सक्षम स्तर से अनुमोदन लेने के उपरान्त ही पोर्टल पर फ्लोट की जायेगी। जेम पोर्टल द्वारा ऐसी कस्टम/BOQ बिड को निरस्त किया जाता है, तो इसके लिये क्रेता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुये आवश्यक कार्यवाही हेतु सभी संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल उ0प्र0।
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
(3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उ0प्र0।
(4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(5) सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ।
(6) सचिव, लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज।
(7) सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
(8) निदेशक, सेवायोजन विभाग, लखनऊ।
(9) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
(10) वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से

डा0 प्रदीप कुमार
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।